



झारखंड सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
नामांतरण शक्ति-पत्र

Duplicate-copy CRSL/P9/11904

10/21/2020



जिला का नाम	धनबाद	अनुमोदित नाम	धनबाद	अचल का नाम	धनबाद	हल्का	हलका-01
इस्टेट का नाम	झारखण्ड	भाग		वर्तमान (VOL)	7	पृष्ठ संख्या	वर्तमान 32
						शाना नं.	1

क्रमिक संख्या	केस नं.	मौजा का नाम/ राजस्व शाना नं.	शाना का नाम	स्वीकृत द्वारा और तिथि	परिवर्तन प्रकार	अभिधृत जिसमें नामांतरण संबंधित है	क्रयोदार विस्तृत सूचना	नगान	रजिस्ट्रार 2 अद्वयतन तिथि अभिलेखित
11904	2141 /R/27 2020 - 2021	भूली/ 1	झरिया	13/10/2020	By Sale Registration Deed 2868 Dated 16/07/2020	खाता नं. 196 भाग 4 वर्तमान 99	खाता नं. 196 प्लॉट नं. 2760 क्षेत्रफल 4.95 डिसेमीन	3	

क्रेता का नाम :
(MD SAHID)पिता-LATE MD HUSSAIN, जति---, पता-
KATRASGARH (DHANBAD) एवं (AMINA
KHATOON)पति-MD SAHID , जति---, पता-
KATRASGARH (DHANBAD)

जमाबंदी रैयत का नाम :
सैयद मोहम्मद जसीमउद्दीन-पिता-सैयद मोहम्मद अजीमुद्दीन

विक्रेता का नाम :
SYED MOHAMMAD JASIMUDDIN, पिता-SYED
MOHAMMAD AZIMUDDIN, जति---, पता-NEW
AZAD NAGAR DHANBAD

Signature valid
Digitally signed by

PREASANI KUMAR LAYAK

अचल अधिकारी धनबाद

राजस्व कर्मचारी हलका-01 को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनाएँ हरतान्तरित।
यह एक कंप्यूटर जनित प्रति है
यदि प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है
इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

श्री. साहिल अमीना खतून

uplicate Copy

-Oct-2020

आदेश

तिथि

Oct 13 2020

आदेश पर की

गई कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा भूली थाना झरिया

खाता	प्लॉट	रकबा
196	2760	0 एकड़, 4.95 डिसमील, 0 हेक्टर

का बिक्रेता

बिक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
SYED MOHAMMAD JASIMUDDIN	पिता	SYED MOHAMMAD AZIMUDDIN

हे जिन्होंने निबंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या 2868 दिनांक MMM d yyyy के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदी रैयत

रैयत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
सैयद मोहम्मद जसीमउद्दीन	पिता	सैयद मोहम्मद अजीमुद्दीन

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है।

राजस्व उप निरीक्षक एबम अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के अनुसार दाखिल खारिज आवेदन को स्वीकृत हेतु अनुसंसा किया गया है अत दाखिल खारिज आवेदन को स्वीकृत किया जाता है

अतः वार्षिक लगान रुपये

स्वीकृत

अलावे सेस के साथ नामान्तरण

किया जाता है।

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।

Digitally Signed by :
PRASANT KUMAR LAYAK

अंचलाधिकारी धनबाद